न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 153/2013

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गिरधारी पुत्र चैना के कायम मुकाम 1/1.घमुदेवी पत्नि गिरधारीराम 1/2.प्रेमप्रकाश पुत्र गिरधारीराम, 1/3.छगनलाल पुत्र गिरधारीराम, 1/4.रमेश कुमार पुत्र गिरधारीराम जति जाट निवासी बालोतरा 2. गुमनाराम पुत्र आदाराम जाति जाट, 3. दीपाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी बालोतरा व जिला बाड़मेर 4. लिखमाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी भाण्डियावास तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.बालाराम पुत्र पोकरराम जाति पालीवाल निवासी भाण्डियावास तहसील पचपदरा 2.जसकी पत्नि बालाराम जाति पालीवाल निवासी भाण्डियावास तहसील पचपदरा 3.मंगलसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुड़ी 4.राजस्थान राज्य जरियें भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1.श्री रतनलाल चौधरी,श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से उपस्थित।

3.श्री ओमप्रकाश डाबी,अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अनुपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 05.12.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा भाण्डियावास मौजुदा राजस्व गांव हिमताणियों भाम्भूओं की ढाणी में खेत खसरा

5.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हिस्सा,प्रार्थी सं. 02 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 04 का 1/6 हिस्सा हैं तथा भूमि पर काबिज काश्त हैं,खसरा संख्या 868/1 का मौके पर खरीदे अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' साथ पेश हैं, जिसमें खसरा सं. 868/1 रकबा 37–11 बीघा भूमि को ए.बी.सी.डी. मार्क किया गया हैं, सी.डी. तक पुरानी माठ आज भी मौके पर आयी हुई हैं,जो यथावत मौजुद हैं,नक्शा परिशिष्ट 'अ' को इस प्रार्थना पत्र का अंग शुमार किया जावे,उक्त खेत के बदिशा पूर्व में खसरा संख्या 869/1 रकबा 25 बीघा विप्रार्थी संख्या 03 के तथा खसरा संख्या 856/1 रकबा 16–00 बीघा विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी का हैं, तथा खसरा संख्या 02 का पश्चिमी सेड़ा यथावत पूर्व माफिक मौके पर हैं,विप्रार्थी संख्या 01 ने षड़यंत्रपूर्वक पटवारी से मिलावट कर मौके पर कब्जे को ध्यान में नहीं रख कर बिना सक्षम अधिकारी,लैंड रिकार्ड अधिकारी के आदेश के विप्रार्थी संख्या 02 को फायदा पहुंचाने हेतु प्रार्थीगण को बिना सुने उनकी पीठ पीछे गलत तरह से नक्शा में तरमीम कर खसरा संख्या 856/1 का काफी हिस्सा प्रार्थीगण की कब्जासुदा खातेदारी भूमि में बता किया,खसरा संख्या 856/1 का खांचा प्रार्थीगण की भूमि में डाल दिया तथा खसरा संख्या 869/1 की पश्चिमी सीमा को पूर्व की तरफ सरका दिया,मौके पर परिशिष्ट 'अ' में वर्णित ए.बी.सी.डी. रकबा 37–11 बीघा पर प्रार्थीगण का कब्जा हैं,नक्शें में की गई गलत तरमीम का ज्ञान दिनांक 27.05.2013 को नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त होने पर हुआ,तब वर्तमान प्रार्थना पत्र मौके पर कब्जें को ध्यान में नहीं रख कर ट्रेस में जो गलत तरमीम की हैं,उसे खारिज कर पुनः मौके की जांच करवा कर नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

....2...

2 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। साथ ही प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार [illegible] जबाब पेश कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर [illegible] अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डाबी द्वारा वकालतानामा पेश किया,लेकिन जबाव पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जबाव पेश नहीं करने पर जबाव बन्द किया गया। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

5.12.2022
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से लिखित बहस पेश की गई और उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये थे,कि वर्तमान खसरा सं. 868/1, 856/1, 869/1 मूल रकबा 127.05 बीघा रहे,जिसमें से 37.11 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी गुमानसिंह, मंगलसिंह को आवंटित हुई, उनके फौत हो जाने पर उक्त भूमि का 1/6 हिस्सा गिरधारीराम के हक पूर्वाधिकारी किशनाराम को 1/6 हिस्सा, लिखमाराम को 2/3 हिस्सा, गुमनाराम, दीपाराम को अलग अलग रजिस्ट्रीयों के बेचान हुई, मूल खसरा सं. 1 के राजस्व रेकर्ड लट्ठा ट्रेस में पूर्व में तरमीम हो चुकी थी,जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हटा कर सन् 2012 में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा विप्रार्थी सं. 01 व 02 से मिलावट कर गलत तरमीम की हैं,वास्तविक तथ्य अनुसार प्रार्थी सं. 02, 03 का कब्जा 37.11 बीघा में 25 बीघा भूमि हक हिस्से खातेदारी की हैं, और मौके पर इनका कब्जा 24 बीघा भूमि पर ही हैं, लैंण्ड रेवेन्यू के तहत उत्पन्न विवादों का निस्तारण मौके पर कब्जे को मध्य नजर रखते हुए किये जाने का प्रावधान हैं।मूल खसरा संख्या 01 के राजस्व रेकर्ड नक्शा लटठा ट्रेस में में प्रार्थीगण के नक्शा परिशिष्ट अ में मार्क ए से डी रकबा 37.11 बीघा भूमि प्रार्थीगण व उनके हक पूर्वाधिकारीयों के मौके पर कब्जा काश्त स्थान को नये तरमीम खसरा संख्या 01/1 दर्ज के तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 14.8.2000 को प्रार्थीगण को नक्शा लटढा ट्रेस की प्रमाणित नकल जारी कर दी गई। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त वर्तमान खसरा संख्या 868/1 के पूर्व तरमीम खसरा संख्या 1/1 रहा है,जो नक्शा नकल लटढा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पी.35/2579/06.2.2006 को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति से पूर्णतया स्पष्ट है एवं जमाबंदी संवत 2054 से 2057 में विधिक प्रक्रिया माफिक मूल खसरा संख्या 01 का तरमीमी खसरा संख्या 1/1 प्रार्थीगण के खातेदारी होना स्पष्ट इन्द्राज है,प्रार्थी संख्या 01 गिरधारीराम ने दिनांक 24.7.2001 को र[illegible] बीघा भूमि खसरा संख्या 1/1 का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी का जरिये रजिस्टर्ड [illegible] क खरीद कर कब्जा प्राप्त किया,जिसकी प्रति साथ पेश की गई,जिसमें भी स्पष्ट जाहिर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि रकबा 37.11 बीघा की पूर्व तरमीम हो चुकी थी उक्त रकबा 37.11 बीघा की तरमीम खसरा संख्या 1/2 रही है,जो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 5.12.202[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

मौके पर कब्जे को ध्यान में नहीं रखकर गलत तरमीम की गई,जो मौके कब्जे व रेकर्ड में दर्ज रकबे से मेल नहीं खाती है। तरमीम खसरान के नक्शे जमाबंदी में दर्ज रकबा व नक्शा लटठा ट्रेस में प्रार्थीगण खातेदारी भूमि जमाबंदी में दर्ज रकबा 37.11 बीधा के समान अनुपात में नहीं है और प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे के अनुसार नहीं,जिसे दुरुस्त कर मौके पर कब्जे के अनुसार खसरा संख्या 01 की तरमीम किया जाना न्यायोचित है। विवादित भूमि के संबध में राजस्व वाद प्रकरण भी विचाराधीन है। न्यायालय हाजा द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट भी अस्पष्ट प्राप्त हुई है,जिसमें किसी भी प्रकार का विवादित भूमि की मौका स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। विवादित भूमि के मूल खसरान संख्या 01 के लटठा ट्रेस में लाल स्याही की तरमीम लाईन राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से की गई जो विधिक रूप से गलत है। मूल खसरा संख्या 01 के पुराना लटठा ट्रेस की तहसील कार्यालय पचपदरा से आवेदन क्रमांक 292/7.12.2021 को जारी पुराना लटठा ट्रेस की नकल से पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी क उक्त खसरान क नक्शा ट्रेस में भूमि की पूर्व में तरमीम की जा चुकी थी। अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए तर्क दिये कि प्रार्थीगण व उनके हक पूर्वाधिकारी पिछलें 50 वर्षो से माफिक परिशिष्ट अ मार्क ए,बी,सी,डी काबिज काश्त करते आ रहे है,प्रार्थीगण के द्वारा कभी भी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी के भाग पर अवैध अतिचार कर सीमाओं का विवाद उत्पन्न नहीं. किया गया,न ही प्रार्थीगण की नियत शुरू से रेकर्डेड खातेदार की भूमि को हड़प करने की रही है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा गलत तरमीम की आड़ में मुख्य सड़क पचपदरा से जोधपुर के पास प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के कब्जाशुदा खातेदारी भूमि के भाग पर पुरानी माठ तोड़ने व नष्ट करने का उपक्रम किया जाता रहा है,विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत परिशिष्ट अ मार्क ए,बी,सी,डी अनुसार किया जाना न्यायोचित है,क्योकि प्रार्थीगण का वक्त खरीद से आदिनांक तक मौका काबिज भी उसी [illegible] लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा विप्रार्थी पक्ष को नाजायज कायदा पहुंचाने की [illegible] के विपरीत तरमीम कर दी गई,जो कि प्रार्थीगण के साथ अन्याय किया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल खसरा संख्या 01 कें वर्तमान नक्शा लटठा ट्रेस में की गई तरमीम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश बिना व मौके पर कब्जे को ध्यान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

5.12.2022
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं रखकर नक्शा लटठा ट्रेस में गलत तरमीम की गई है,जो निरस्त फरमाई जाकर पुनःमौके पर कब्जे की जांच करवाकर नक्शा लटठा ट्रेस में नई तरमीम करवाने का आदेश फरमाया जावें।

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस थी कि मौके पर परिशिष्ट 'अ' अनुसार कभी कोई कब्जा, काश्त प्रार्थीगण का नहीं रहा बल्कि प्रार्थीगण ने अतिचार का उपक्रम मौके पर हरवक्त किया व किया जा रहा है,कोई पुरानी माठ न तो कभी रही और न कभी है बल्कि प्रार्थीगण अपने खाते में दर्ज भूमि के रकबे से अधिक भूमि पर अतिचार के माध्यम से अतिक्रमण करना चाहते है,इस कारण गलत तथ्यों का परिशिष्ट "अ" बनाकर न्यायालय में पेश किया है, परिशिष्ट "अ" अनुसार कभी कोई तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस में नहीं रही। मौके पर विप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी के भाग पर प्रार्थीगण के द्वारा अवैध अतिचार कर सीमाओं का विवाद उत्पन्न किया जाता रहा,जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने खातेदारी के खेत का सीमाज्ञान भूमिधारक तहसीलदार से आदेश प्राप्त कर करवाया गया,तदोपरान्त मौके पर पक्का नेखम कायम करवाने हेतु प्रकरण संख्या 314/2021 पेश किया, जिसमें बाद सुनवाई पक्के नेखम कायम करने के आदेश पारित हुए प्रार्थीगण की खातेदारी के बदिशा पूर्व में कभी भी खसरा संख्या 869/1 नहीं रहा और न पश्चिम में पुर्व माफिक कोई तरमीम ही थी, और न है। परिशिष्ट "अ" अनुसार कोई तरमीम कभी भी नहीं रही, प्रार्थी ने जो परिशिष्ट "अ" पेश कर उसमें मार्क ए,बी,सी,डी अंकित किया है,उसके अनुसार उसके मध्य का रकबा 40 बीघा के करीब होता है,जबकि प्रार्थीगण स्वयं ये स्वीकार करते है,कि उनके खातेदारी में रकबा 37–11 बीघा ही है, मर्जी अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम की लाईने नहीं खीचवायी जा सकती, क्योंकि तरमीम की लाईने पैमाने अनुसार अंकित होती है,जब प्रार्थीगण के कथित खातेदारी की भूमि की तरमीम ही पूर्व में कायम नहीं थी,तो षड्यन्त्रपूर्वक हटाने या संशोधन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता,वर्तमान लट्ठा ट्रेस में जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार सही तरमीम अंकित की हुई है,विप्रार्थी [illegible] के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 856/1 का कभी कोई रकबा 868/1 में नहीं [illegible] और न मौके पर ऐसा है, बल्कि प्रार्थीगण की नियत शुरू से रेकर्डेड खातेदार की भू[illegible]को हड़प करने की रही है,इस कारण उक्त भूमि सड़क पर लगती होने से प्रार्थीगण विप्रार्थी सं. 1 व 2

5.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

के खातेदारी की भूमि के भाग को अवैध अतिचार के माध्यम से हड़प करना चाहते है,इसलिए अपने कथित खातेदारी के रकबा से अधिक रकबा पर जो रकबा मुख्य सड़क से लगता है,उस पर अतिचार करना चाहते है और ऐसा उपक्रम भी मौके पर जारी है, ऐसे अवैध व विधि विरूद्ध कृत्यों के विपरित जाकर अतिचार के उपक्रम को बचाने के लिए वर्तमान प्रकरण अशुद्ध तथ्यों का पेश किया है, यहां यह निवेदन करना उचित है, कि प्रार्थीगण अपने स्वयं के टाईटल के दस्तावेज के विपरित कोई कथन नहीं कर सकते है,यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण के हक में जो पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित हुआ उसमें वर्णित पड़ोस बदिशा उत्तर में खसरा सं. 2 पश्चिम में खसरा सं. 1/1 का रकबा दर्ज है, अब प्रार्थीगण स्वयं अपने दस्तावेज के विपरित जाकर अपने आप को खसरा सं. 1/1 को अपना पुराना खसरा होना बता रहे है, जबकि प्रार्थीगण के हक में निष्पादित पंजीकृत दस्तावेज अनुसार खसरा सं. 1/1 प्रार्थीगण के खातेदारी का भाग नहीं होकर उसके पड़ोस में अवस्थित खसरा रहा है, प्रार्थीगण के हक में जो दस्तावेज निष्पादित हुआ,उसके बदिशा उत्तर मे मूल खसरा सं. 2 का रकबा होना दर्शाया गया है, जबकि वर्तमान में जो प्रार्थना पत्र पेश कर उसके साथ नक्शा परिशिष्ट ''अ'' पेश किया है, उसके बदिशा उत्तर में खसरा संख्या 2 का रकबा किसी भी रूप से नहीं है, इससे यह सिद्ध है, कि प्रार्थीगण अपने हक में अपने विधिक दस्तावेज के विपरित जगह पर काबिज होना चाहते है। यह स्वीकृत तथ्य है,कि प्रार्थीगण उक्त भूमि में सन् 1999 में प्रथम बार जरीये रजिस्ट्री खातेदार बने थे, उससे पूर्व उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं है, यहां यह निवेदन करना उचित है, कि प्रार्थी अपने आप को पुराने खसरा सं. 1/1 का मालिक होना बता कर उसके नये खसरा सं. 868/1 का होना बता रहे है, जबकि खसरा सं. 1/1 का अस्तित्व प्रार्थीगण के हक में निष्पादित दस्तावेज सन् 1999 से पूर्व ही कायम हो चुका था, यानि खसरा सं. 1/1 प्रार्थीगण का नहीं होकर अन्य व्यक्ति का है, खसरा सं. 1/1 की तरमीम भी जहां वर्तमान में नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा सं. 870/1 दर्शायी हुई है, वहां तत्कालिन हल्का पटवारी ने लट्ठा ट्रेस की [illegible] सन् 1991 में जारी हुई, में दर्शित की हुई है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास [illegible] पुराने 1/1 का कोई मालिकाना हक नहीं है,प्रार्थीगण के हक में जो दस्तावेज पं[illegible]त हुआ वो अन्य स्थान का है, तथा मौके पर उसके विपरित स्थान पर काबिज होकर अन्य लोगों की

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

5.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर अतिचार के माध्यम से अतिक्रमण करने की बदनियति रखते है,इसी बदनियति से वर्तमान प्रकरण पेश किया है, और मौके पर अन्य खातेदारों की भूमि में अतिचार का उपक्रम भी किया गया है, प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज या भू–अभिलेख अधिकारी का आदेश पेश नहीं किया है, जिसके तहत दिनांक 10.09.1991 को लट्ठा ट्रेस में अंकित पुराने खसरा सं. 1/1 की तरमीम जो सरहद पचपदरा की तरफ त्रिभुजाकार में की हुई है,को बदलकर अन्य जगह पर की गई हो, प्रार्थीगण द्वारा जो नक्शा सन् 2000 का पेश किया गया है, उसमें तरमीम किस माध्यम से व किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश से की गई है,का कोई अंकन नहीं है, पूर्व तरमीम जो रेकर्ड में दर्ज की, वो अशुद्ध भी होती है, तो भी उसकी दुरस्ती एक विधिक प्रक्रिया के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा ही दुरस्त की जा सकती है, जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण ने सन् 1991 में दर्ज रही तरमीम को बदलने संबंधी किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की है, प्रार्थीगण अपने स्वीकृत दस्तावेज के विपरित अन्य कथन करने से भी विबन्धित है, प्रार्थीगण अपने विधिक टाईटल के दस्तावेज रजिस्ट्री में वर्णित पड़ोस अनुसार तरमीम दुरस्त करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा कर मनमर्जी से तैयार कथित लट्ठा ट्रेस के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है जो किसी भी रूप से नहीं दिया जा सकता है, मौके पर सेढ़ा या पुरानी माठ नहीं है, प्रार्थीगण कानून हाथ में लेकर लाठी के बल पर अन्य खातेदार के खातेदारी की भूमि पर अतिचार पर आपराधिक घटना कारित की, जिसका मुकदमा पुलिस थाना पचपदरा में दर्ज हुआ,जो विचाराधीन है, मौके पर कभी भी माठ या माठ पर बड़े–बड़े पेड़ नहीं रहे व न है,लट्ठा ट्रेस तरमीम की गलत प्रविष्टियां भी प्रार्थीगण स्वयं में दर्ज करवायी है,जिससे प्रार्थीगण का यह कथन गलत है,कि उन्हें ट्रेस में दर्ज तरमीम की जानकारी नहीं हो बल्कि शुरू से जानकारी रही व है,प्रार्थीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की हैं,जिससे वर्तमान रेकर्ड में की गई तरमीम अशुद्ध हो, साबित होता हो, साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज होने योग्य होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

5.हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन कि पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात,मौका जांच रिपोर्ट एवं लिखित बहस का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एंव अध्ययन किया। जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण ने

5.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Rs.

अनुतोष चाहा हैं,कि विवादित भूमि का लट्ठा ट्रेस में तरमीम अशुद्ध हैं,जो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई हैं,जो हटाई जाकर माफिक कब्जा अनुसार तरमीम की जावे, जबकि विप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कथन हैं,कि अवैध व अनुचित तरीके से लाठी के बल पर अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए तरमीम को गलत होने का कथन कर रहें हैं,हमनें दोनों पक्षों के परस्पर तर्को पर मनन किया,पत्रावली अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि,मौजा भाण्डियावास वर्तमान राजस्व गांव हिमताणियों की ढाणी में मूल खसरा संख्या 01 अवस्थित रहा हैं, उक्त खसरे की नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम भिन्न भिन्न रही हैं,किन्तु जो नक्शा ट्रेस फोटो प्रति प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के साथ पी.35 क्रमांक 38/27.05.2013 जो हल्का पटवारी कुड़ी द्वारा जारी किया गया हैं,का अवलोकन करने से ज्ञात होता हैं,कि उक्त रास्ता पैमाने के अनुसार उक्त भूमि के जुड़ती सड़क पर समानुपात हिस्सा लगे के अनुसार तरमीम की हुई हैं,प्रार्थी ने जो परिशिष्ट 'अ' पेश किया हैं,उसमें जो ए.बी.सी.डी. भूमि होना बतायी हैं,उसका खतौनी रकबा 37.11 बीधा से ज्यादा होना पाया जा रहा है। विधि के अनुसार खतौनी,नक्शा का रकबा का मिलान होना आवश्यक हैं,जिस प्रकार प्रार्थी, विप्रार्थी सं. 01 व 02 के खातेदारी भूमि खसरा सं. 856/1 की भूमि की तरमीम होने का कथन करता हैं, उक्त प्रकार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने से खसरा सं. 856/1 की खतौनी में वर्णित रकबा पूर्ण नहीं होता हैं,इस प्रकार प्रार्थीगण का कथन यदि स्वीकार किया जाता हैं, तो प्रार्थीगण की खतौनी 37.11 बीघा की हैं, और तरमीम ज्यादा रकबे की होगी तथा विप्रार्थी सं. 01 व 02 की खतौनी 16 बीधा हैं, तरमीम कम रकबे की होगी,जो कत्तई उचित नहीं हैं, अलावा इसके प्रार्थीगण द्वारा जो परिशिष्ट 'अ' पेश कर ए.बी.सी.डी. मार्क अंकित बताये हैं, के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि मौखिक कथन व बिना दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तरमीम दुरूस्ती नहीं हो सकती है। किसी भी रिपोर्ट में प्रार्थीगण का कब्जा उनके खातेदारी की भूमि के अनुसार या लटठा ट्रेस जो [illegible] ने पेश किये हैं, के अनुसार होने प्रतीत नहीं होती हैं, धारा 131, 136 आर.एल.आर. के प्राव[illegible] पूर्व में कोई तरमीम जो खतौनी में वर्णित रकबा के समान पैमाने की हो तथा कब्जा [illegible] पैमाने का हो,तो ही लागू होते हैं,वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हैं,क्योंकि जो भी नक्शे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत हुए हैं,उन किसी में भी खतौनी, नक्शें में वर्णित रकबे का मिलान

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

5.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं होता हैं,उक्त भूमि मौके पर खुली भूमि हैं,जिसे भी कब्जा विशेष स्थान पर किसी पक्षकार का होना नहीं माना जा सकता, अलावा इसके यदि मूल खसरा संख्या 01 के कोई तरमीमी खसरान नहीं बनते और धारा 53 रा.का.अ. के प्रावधान अनुसार बंटवाड़ा तकासमा की कार्यवाही अमल में लायी जाती तो भी माननीय राजस्व मण्डल के बंटवाड़ा नियमों 18 से 21 की पालना होती,ऐसी स्थिति में भी भूमि को समानुपात कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजित होती, वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण जो अनुतोष जिस प्रकार ए.बी.सी.डी. अनुसार चाहते हैं, के अनुसार यदि आदेश पारित किया जाता हैं,तो उक्त भूमि के बदिशा दक्षिण में लग रही सड़क पर अपने अनुपातिक हिस्से से अधिक भूमि मिल जायेगी, जबकि विप्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि के भाग के अनुपात में हिस्सा प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार वर्तमान लट्ठा ट्रेस में जो तरमीम दर्ज हैं,में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही हैं। विवादित भूमि के संबध में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण में स्थगन आदेश जारी होने के संबध में प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई प्रमाणित दस्तोवज की प्रति पेश नहीं गई,केवलमात्र मौखिक कथन किया,जो कि गौर करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात का आवलोकन व अध्ययन करने के पश्चात पत्रावली में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जिसके लिए एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड प्रतीत होती हो,प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है।

6. अतः प्रार्थना पत्र धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं, को स्वीकार करने के कोई युक्तियुक्त आधार या दस्तावेजात में जुड़ती या एरर एपीनेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड हो,प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार करने योग्य होने से अस्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं । पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.28 18:47:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा